हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 2842/शोध/2024 दुर्ग, दिनांक : 16/03/2024

// सूचना//

(शोध सलाहकार समिति (RAC) (पूर्वनाम–विभागीय शोध समिति (DRC)) की बैठक संबंध में शोध केन्द्रों/शोध निर्देशकों हेतु)

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक–45 एवं भारत का राजपत्र सं. 544, नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944 द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी–एच. डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 के अनुक्रम में समस्त **शोध केन्द्रों/शोध निर्देशकों** को सूचित किया जाता है कि–

1. **विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त शोध केन्द्रों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे शोध सलाहकार समिति (RAC) (पूर्वनाम–विभागीय शोध समिति (DRC)) की बैठक शोध केन्द्रों में दिनांक 22/03/2024 से 05/04/2024 तक अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।**
2. विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 2822/शोध/2024, दुर्ग, दिनांक 28/02/2024 में सम्मिलित पी–एच. डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों को ही सत्र 2024 की शोध सलाहकार समिति (RAC) (पूर्वनाम–विभागीय शोध समिति (DRC)) की बैठक में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. समस्त शोध निर्देशक विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 525/अका./शोध/2018, दुर्ग दिनांक 14/09/2018 वर्गवार आबंटित सीट एवं अधिसूचना क्र. 2840/शोध/2024, दुर्ग, दिनांक 14/03/2024 का अनिवार्य रूप पालन करना सुनिश्चित करे।
4. शोध केन्द में शोध सलाहकार समिति (RAC) (पूर्वनाम–विभागीय शोध समिति (DRC)) की बैठक में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से पी–एच.डी. आवेदन के समय मांगी गई समस्त दस्तावेजो के 2 सेट पी–एच. डी. प्रवेश फार्म/पंजीयन सहित जमा करावें एवं उक्त दोनों सेट के पंजीयन फार्म में शोध निर्देशक हस्ताक्षरित सहमति देवे एवं अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों की मूलप्रति को सत्यापित कर शोध केन्द्र में प्रवेश देना सुनिश्चित करें।
5. संबंधित शोध केन्द्र अभ्यर्थी को शोध केन्द्र में प्रवेश देने के पूर्व आवश्यकतानुसार इस विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र (Eligibility Certificate) अनिवार्य रूप से लेवें। छत्तीसगढ़ के राजकीय विश्वविद्यालयों को छोड़ कर अन्य विश्वविद्यालयों (छत्तीसगढ़ के निजी/राज्य के बाहर स्थित विश्वविद्यालय) हेतु पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. शोध केन्द्र अभ्यर्थियों से उनके नियोक्ता द्वारा प्रदाय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अनिवार्य रुप से लेवें।

7- अभ्यर्थियों को विभागीय शोध समिति की अनुशंसा पश्चात् चयनित शोध केन्द्र में दिनांक 10/04/2024 तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। अंतिम तिथि के बाद शोध केन्द्रों में प्रवेश नही दिया जावेगा।

8. समस्त शोध केन्द्र **शोध सलाहकार समिति की बैठक** में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे संबंधित शोध निर्देशक/सह–शोध निर्देशक के हस्ताक्षरित सहमति प्राप्त हो चुकी है एवं शोध केन्द्र में शुल्क जमा कर प्रवेश ले लिया गया है उनकी सूची संलग्न प्रारूप अनुसार जानकारी भर कर पी–एच.डी. सेल में दिनांक 13/04/2024 तक अनिवार्य रूप से जमा करावें।

9. पी–एच.डी. कोर्स–वर्क अध्ययन समय सीमा दिनांक 15/04/2024 से 15/10/2024 अर्थात छः माह की होगी तदपश्चात् पी–एच.डी. कोर्सवर्क परीक्षा आयोजित की जावेगी।

10. समस्त शोध केन्द्र उक्त प्रवेशित शोधार्थियों के पी–एच.डी. कोर्स–वर्क की नियमित कक्षायें शोध केन्द्र में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से प्रारंभ करें।

11. विश्वविद्यालय नियमानुसार अन्य पाठ्यक्रमों समरुप पी–एच.डी. कोर्स–वर्क के शोधार्थियों की उपस्थिति शोध केन्द्रों में न्यूनतम 75% होना अनिवार्य है। पर्याप्त उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में पी–एच.डी. कोर्स वर्क परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी। जिसके लिए शोधार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

12. समस्त शोध केन्द्र पी–एच.डी. शोधार्थियों की उपस्थिति का अनिवार्य रुप से संधारण करें।

13. अध्यक्ष/प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र द्वारा कोर्स–वर्क की गतिविधियों की जानकारी तथा शोधार्थी की शोध केन्द्र में उपस्थिति की जानकारी प्रत्येक माह की अंतिम तिथि में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कराकर पी–एच.डी. सेल, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

14. यह कि उपयुर्क्त कंडिका 13 अनुसार शोध केन्द्र द्वारा शोधार्थी की उपस्थिति की जानकारी हेतु उपस्थिति पत्रक विश्वविद्यालय पी–एच.डी. सेल को प्रत्येक माह प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पी–एच.डी. कोर्स वर्क परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जावेगी। जिसके लिए संबंधित शोध केन्द्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।

15. अध्यादेश–45 के प्रावधानानुसार मान्य विश्वविद्यालय से एम.फिल. उत्तीर्ण योग्य आवेदकों को विभागीय शोध समिति (DRC) द्वारा एम. फिल. की मूल अंकसूची की जॉच पश्चात् अनुशंसा पर कोर्सवर्क से छूट प्रदान किये जाने का प्रावधान है। ऐसे आवेदन विभागीय शोध समिति के निर्णयानुसार शोध निर्देशक के निर्देशन में शोध रूपरेखा तैयार करेगें।

16. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे पी–एच.डी. कोर्स–वर्क से छूट प्राप्त है वे भी नियमतः संबंधित शोध केन्द्र में कोर्स–वर्क की कक्षाये पूरी कर पी–एच.डी. कोर्स–वर्क परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

17. समस्त शोध केन्द्र शोधार्थियों को प्रयोगशाला, कम्पूटर, ग्रंथालय, बैठने का स्थान तथा अन्य आवश्यक संसाधन अनिवार्य रुप से उपलब्ध करावें।

कुलसचिव

पृ.क्र. 12843/शोध/2024 **दुर्ग, दिनांक : 14/03/2024**

प्रतिलिपिः

1. प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
2. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद यादव वि.वि. दुर्ग की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
3. कुलपति महोदय के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित। ।
4. कार्यालय फाईल।

प्रभारी, पी–एच. डी. प्रकोष्ठ

शोध सलाहकार समिति (RAC) (पूर्व नाम विभागीय शोध समिति (DRC)) की बैठक मे चयनित अभ्यर्थियों की सूची

शोध केन्द्र का नाम :–...

विषय :– ....

विभागीय शोध समिति (DRC) की बैठक दिनांक :– ....

क्र.	शोधार्थी का नाम	वास्तविक वर्ग	आंबटित सीट का वर्ग	शोध निर्देशक का नाम पद का नाम कार्यरत महाविद्यालय का नाम	सह–शोध निर्देशक का नाम पद का नाम कार्यरत महाविद्यालय का नाम

हस्ताक्षर

अध्यक्ष, RAC (पूर्व नाम DRC) /

प्राचार्य, शोध केन्द्र

नोट– चयनित अभ्यर्थी द्वारा शोध केन्द्र में जमा किए गए दस्तावेजों (पंजीयन फॉर्म सहित) के 2 सेट में से एक सेट उक्त प्रारुप सहित वि. वि. को अनिवार्यतः प्रेषित करना सुनिश्चित करें।